

## 4. भण्डार का वर्गीकरण (Classification of Stores)

भारतीय रेलवे में विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे एवं वस्तुएँ उपयोग में आते हैं, जिन्हें स्टॉक एवं गैर स्टॉक दो प्रकार की मदों के रूप में जाना जाता है।

**स्टॉक मदें (Stock Items) :** ऐसी मदें जिनकी बारबार या अक्सर आवश्यकता पड़ती है और जिन्हें भण्डार विभाग में स्टॉक में रखा जाता है, स्टॉक मदें कहलाती हैं।

**गैर-स्टॉक मदें (Non-Stock Items) :** ऐसी मदें जिनकी जब कभी आवश्यकता पड़ती है और जिन्हें भण्डार विभाग में स्टॉक में नहीं रखा जाता है। इन्हें जरूरत पड़ने पर ही खरीदा जाता है, गैर-स्टॉक मदें कहलाती हैं।

## भंडारों का निर्गम (Issue of Stores)

भंडारों का निर्गम भंडार डिपो के वार्डों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार संबंधित मद संबंधित विभाग द्वारा प्रयोग में लाना तभी संभव हो पाता है, जब उनका निर्गम बिना किसी आपत्ति के हो।

वार्ड द्वारा प्रमुखतः निम्न वाउचरों पर भंडार निर्गत किया जा सकता है—

1. मांग एवं निर्गम पत्र (Requisition and Issue Note)
2. निर्गम टिकिट (Issue Ticket)
3. संयुक्त निर्गम और प्रतिपूर्ति अनुसूची (Combined Issue cum Recoupment Schedule)
4. विक्रय निर्गम पत्र (Sale Issue Note)
5. डिपो स्थानान्तरण (Depot Transfer)

## मांग एवं निर्गम पत्र (Requisition and Issue Note):-

भंडार निर्गत करने के लिये मांग एवं निर्गम पत्र प्रपत्र सं. एस-1313 / 1319 पर 5 प्रतियों में तैयार किया जाता है। यह वाउचर या तो मांगकर्ता द्वारा भेजा जाता है या फिर मांगकर्ता द्वारा मांगपत्र भेजे जाने पर भंडार निर्गम करने वाले वार्ड द्वारा तैयार किया जाता है। मांग एवं निर्गम पत्र तैयार करने के बाद वार्ड के इश्यू रजिस्टर में पंजीकृत किया जाता है और उस वाउचर संख्या एवं तारीख दर्ज कर दी जाती है।

मध्य रेल  
CENTRAL RAILWAY  
माग तथा निर्गम नोट  
REQUISITION AND ISSUE NOTE

जी 105 बी/एस 1313 एस 1319 एस. 716/संशोधित 87  
G. 105 B/S 1313 S 1319 S 716/ Rev. 87

वर्ष 12-13

कार्ड कूट (1-2)  
CD CODE  
57

मांगकर्ता INDENTOR CI-572	प्रेषिती CONSIGNOR PSTC, MS Dy Cmm	पूर्ति डिपो SUPPLYING DEPOT	डिपो DEPOT 7-8	वार्ड WARD 9-10	निर्गम नोट क्रमांक ISSUE NOTE No.11-14	दिनांक DATE 15-11-13
प्रेषिती कूट (61-65) CONSIGNEE CODE 090268	अ. मू. ई API 88	विनिधान ALLOCATION 52-59 121511 27	निर्गम मात्रा (अक्षरों में) QUANTITY ISSUED (IN WORDS)			
मांगपत्र संख्या REQUISITION No.89-96 090268097	तारीख DATE 04-01-13					
मांगी गयी मात्रा (अंकों में) QTY. DEMANDED (IN FIG.) 50 जग	मूल्य सूची क्रमांक P. L. No. 21-28 43300509	श्रेणी (29) CATEGORY	यूनिट कूट UNIT CODE 31-32	निर्गम मात्रा (अंकों में) (33-41) QUANTITY ISSUED (IN FIG.)	चिन्ह-42 SIGN	
मांगी गयी मात्रा (अक्षरों में) QTY. DEMANDED (IN WORDS) पचास जग मात्र	परिमाण UNIT	दर RATE	रु. Rs.	पै. P.	मूल्य (43-51) VALUE	रु. Rs.
विवरण DESCRIPTION तीन सेल 21 पै उपरोक्त ट्रेडि सेल टॉपि दिउ /	पैकेज संख्या No. of PACKAGES		मालगाडी क्र. WAGON No.			
	रेल रसीद नं. R. Re. No.		तारीख DATE			

हस्ताक्षर/SIGNATURE

मांगकर्ता अधिकारी  
INDENTING OFFICIAL  
कॉपी नं. 1 डिपो  
Copy No. 1 Depot

मंजूरी देनेवाले अधिकारी  
APPROVING OFFICER

प्राचार्य/ISSUING OFFICIAL

प्राप्तकर्ता अधिकारी  
RECEIVING OFFICIAL  
6 मांगकर्ता ब्लॉक कॉपी  
6 Indentor's Block copy

C. R. P. No. -08-97-2783-10,000. Bks. X 300. 1 vs. 08-02

सुपरवाइजर प्रशिक्षण केंद्र

सुपरवाइजर प्रशिक्षण केंद्र  
SUPERVISOR TRAINING CENTER

30 म 0 रेल, झांसी  
N.C. RAILWAY

MWT - 05 MJP

## मांग एवं निर्गम पत्र की प्रतियों का वितरण निम्न प्रकार है—

- *पहली प्रति* — वार्ड की रिकार्ड कापी
- *दूसरी एवं तीसरी प्रति* — वार्ड द्वारा बही खाता अनुभाग के माध्यम से लेखा विभाग को भेजी जाती है।
- *चौथी एवं पांचवीं प्रति* — सामान के साथ संबंधित मांगकर्ता को भेजी जाती है। पांचवीं प्रति मांगकर्ता द्वारा रिकार्ड में रख ली जाती है एवं चौथी प्रति भंडार डिपो को सामान की प्राप्ति के परिणामस्वरूप अपने हस्ताक्षर के साथ लौटा दी जाती है।

## निर्गम टिकिट (Issue Ticket):-

**पी-8 (एस-1510):-** इस इश्यू टिकिट पर भंडार डिपो द्वारा केवल सम्बंधित कारखाने को ही सामान निर्गत किया जाता है

वर्कशाप द्वारा इसे पांच प्रतियों में तैयार किया जाता है, जो सीनियर सैक्शन इंजीनियर या प्राणिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है।

**पहली प्रति** — इसकी एक प्रति वर्कशाप द्वारा रिकार्ड में रख ली जाती है।

और चार प्रतियां सामान प्राप्त करने के लिये भंडार डिपों के वार्ड में दे दी जाती हैं।

**दूसरी** — वार्ड द्वारा सामान इश्यू करने के बाद इनमें से एक प्रति अपने रिकार्ड में रख ली जाती है।

**तीसरी एवं चौथी प्रति** — वार्ड द्वारा बही खाता अनुभाग के माध्यम से लेखा विभाग को भेजी जाती है।

**पांचवीं प्रति** — अन्तिम प्रति शॉप को लौटा दी जाती है।

**पी-6 (एस-1531):-** भंडार डिपो, वर्कशॉप से जब कोई सामान बनवाता है तो उसके लिये कारखाने पर कार्यादेश डालता है। वर्कशॉप ऐसे आइटम को बनाने के लिये डिपो से सामान इश्यू करवाने के लिये यह इश्यू टिकिट पांच प्रतियों में तैयार करता है। यह इश्यू टिकिट सीनियर सैक्शन इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।

इश्यू टिकिट पांच प्रतियों में तैयार करने के उपरान्त डिपो के वार्ड में भेज दिया जाता है। और दो प्रतियां बही खाता अनुभाग के माध्यम से लेखा विभाग को भेज दी जाती है तथा अन्तिम दो प्रतियां वर्कशॉप को लौटा दी जाती हैं।

*पहली प्रति* –वार्ड द्वारा सामान इश्यू करने के बाद एक प्रति अपने वार्ड में रख ली जाती है।

*दूसरी एवं तीसरी प्रति* – वार्ड द्वारा बही खाता अनुभाग के माध्यम से लेखा विभाग भेज दी जाती हैं।

*चौथी एवं पांचवीं प्रति* – वर्कशॉप को लौटा दी जाती है।

**Define Stock items non Stock items. Narrate the procedure of making a new item as a Stock item.**

**Stock items**

These are generally those items of the stores having regular turn over caused by constant demands by the user and are stocked in Stores depots. Generally, these items are recoupled on the basis of an annual review conducted on a time table basis, taking up different groups of items in different months thus spreading the work around.

These items have price list number and regular purchase schedule know as Estimate sheet.

**Non stock items**

These are the items, which are not stocked and are not required regularly, for the purpose of purchase of non-stock items the indenter shall submit the requisition in standard form, this includes detailed specification of the demanded material , the requirement of a non-stock items costing more than Rs.2,50,000 shall be got vetted by the associative finance and shall have the approval of the competent authority as per delegation of powers.

These items does not have PL no., it is assumed occasionally

## **Essential criteria for making a new item as stock item in a Stores depot:**

- Item is regularly required for reasonably long time.
- Minimum 4 drawls are expected in a year.
- Value of annual requirement is more than Rs. 10,000/-
- Item has been consumed for last three years on non-stock basis or else there is justification to under take stocking of a new item due to introduction of new technology which is expected to be in use for reasonably long time.


## Procedure for making stock item:-

If there is regular consumption of non-stock items in a year, these items can be stocked. The proposal for making non stock item to stock item *consumption of last three years* is taken in account with proposed annual consumption (AAC) and proper justification, it is proposed by the progress office in the Workshop and by depot in-charge in Divisions which is duly signed by competent authority, it must be vetted by associate finance. Then the above proposal is send to COS office for stocking the item. In COS office a stocking proposal has been prepared as proposed by the consignee after that a new Pl No. for the items is allotted in COS office of Stores Department. After sanctioning of stocking proposal regular purchase will be done by Stores Department as per proposed AAC by the consignee.

# Procurement of Stores – Stock Item




# Procurement of Stores – Non-Stock Item



# Cont... Procurement of Stores –

## Non-Stock Item



# **IREPS** (Indian Railway E-Procurement System)

IREPS is an official website of Indian Railways for procurement of Materials. The site is developed by CRIS using the latest technology and security features. Salient security features deployed include asymmetric cryptography, PKI enablement, digital signature, 128 bit 'VeriSign' SSL etc. apart from other security features like user name, password, digital authentication, role based action/access privileges, audit trail, time synchronization.

The site provides a secure platform to users for online transactions for procurement, sale and works tender. The site caters to requirements of all 16 Zonal Rlys. and 6 Production Units apart from RCF/RBL, RDSO, NF/Const. and Railtel. Site can be used for material procurement by PCMM/PCE of Zonal Railways and PCMM of Production Units. PCMM of zonal Railways and production Units can also use the website for Auction of scrap and unserviceable materials.